न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.) सिरोही (राज.)
बइजलास पीठासीन अधिकारी हरि सिंह देवल (आर.ए.एस.)

रा.प्रा.पत्र संख्या 07 / 2025
GCMS No. 2025/34

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1 राणा राम पुत्र श्री सवाराम जाति–भील आयु व्यस्क नि. पाडीव तहसील व जिला सिरोही		1– स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही तहसील व जिला सिरोही

उपस्थित :–
1– प्रार्थी की ओर से वकील श्री चेतन रावल
2– अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार (ना.तह.सिरोही)

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राज.अभिधृति अधिनियम 1955 के तहत वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता दिलाने बाबत

निर्णय दिनांक 22–04–2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राज.काश्त.अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता दिलाने बाबत इस न्यायालय मे दिनांक 10.01.2025 को पेश किया जिसका संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि मौजा पाडीव पटवार हल्का व भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र पाडीव तहसील व जिला सिरोही में प्रार्थी के नाम की स्वतंत्र खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजी है जिसकी विगत राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2070–2073 के अनुसार खाता संख्या नया 34 खसरा संख्या 3188 रकबा 3.0000 हैक्टेयर है। प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी पर आने जाने हेतु तथा मवेशी, ट्रेक्टर, बेलगाडी इत्यादि लाने ले जाने हेतु राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता दर्ज नही है। प्रार्थीया वर्णित आराजी पर आने जाने हेतु तथा मवेशी, ट्रेक्टर, बेलगाडी इत्यादि लाने ले जाने के लिए अप्रार्थी राजस्थान सरकार के नाम राजकीय बिलानाम खाता संख्या नया 1 खसरा संख्या 3172 रकबा 1.3700 हेक्टेयर किस्म गै.मु. कातरा तथा खसरा संख्या 3170 रकबा 1.4600 हेक्टेयर किस्म गै. मु.नाला की कृषि भूमि आई हुई है। उक्त खसरा संख्या 3172 तक आने जाने हेतु खसरा संख्या 3172 के दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 3162 किस्म गै०मु०रास्ता मौके पर मौजूद है, जो राजस्व रेकर्ड में भी अमल दरामद किया हुआ है। प्रार्थी को अपने स्वयं के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 3188 में आने जाने हेतु उक्त रेकर्डेड रास्ते (खसरा संख्या 3162) से अप्रार्थी राजस्थान सरकार के राजकीय बिलानाम खसरा संख्या 3170 व 3172 में से संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित अनुसार रास्ते की भूमि का उपयोग व उपभोग कदीम से लगातार शांतिपूर्वक करता चला आ रहा है।

उक्त रास्ते से प्रार्थी ट्रेक्टर इत्यादि स्वयं की खातेदारी कृषि आराजी मे ले जाकर खेती, जोताई एवं बुवाई का कार्य शुरू से करता चला आ रहा है तथा इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग आस पडौसियान की कृषि भूमि के खातेदार भी कदीम से शातिपूर्वक करते रहे है। उक्त रास्ते के आलामात मौके पर मौजूद है जो संलग्न नजरी नक्शा मे लाल स्याही से दर्शित है। प्रार्थी की उक्त कृषि आराजी पर आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता अप्रार्थी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज बिलानाम कृषि भूमि खसरा नम्बर 3170 व 3172 मे से होकर है। अप्रार्थी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज बिलानाम कृषि भूमि खसरा संख्या 3170 व 3172 मे स्थित उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की उपरोक्त कृषि आराजी पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है तथा प्रार्थी को अपने खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजी पर जाने हेतु अप्रार्थी राजस्थान सरकार के राजकीय बिलानाम कृषि भूमि खसरा संख्या 3170 व 3172 में से संलग्न नजरी नक्शा अनुसार मौके पर स्थित तीस फीट चौडे रास्ते की प्रथमदृष्टया अतिआवश्यकता है। प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के अन्तर्गत माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकर रकम जमा करवाने हेतु तैयार है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी राजस्थान सरकार के नाम बिलानाम दर्ज खाता संख्या नया 01 खसरा संख्या 3172 रकबा 1.3700 हेक्टेयर किस्म गै.मु. कातरा तथा खसरा संख्या 3170 रकबा 1.4600 हेक्टेयर किस्म गै. मु.नाला की कृषि भूमि मे से संलग्न नजरी नक्शा अनुसार मौके पर स्थित तीस फीट चौडा रास्ता बाद जॉच राजस्व रेकर्ड मे दर्ज एवं नक्शा मे तरमीम किये जाने के आदेश न्यायहित मे प्रदान करना फरमावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे प्रस्तावित नक्शा रास्ता, नक्शा प्रतिलिपि खसरा नक्शा एवं जमाबंदी की प्रतियो का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो उक्त प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 10–01–25 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को जारी नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे प्राप्त होने से शा.मि. किये गये । अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने तहसीलदार सिरोही की ओर से जवाब पेश करने हेतु समय चाहने से न्यायहित मे समय दिया गया ।

उक्त प्रकरण मे इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 22–04–2025 को अप्रार्थी ओर से जवाब पेश किया जिसे शा.मि. किया गया तथा जवाब की प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई ।

अप्रार्थी संख्या तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब में कथन किया है कि ग्राम– पाडीव के खाता संख्या 34 के अनुसार खसरा संख्या 3188 रकबा 3.00 हैक्टेयर किस्म जोड. 1 राणाराम पुत्र सवाराम जाति–भील सा पाडीव की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में जाने हेतु कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। खसरा नम्बर 3162 गै..मु. रास्ता है, वहां से होते हुए खसरा नम्बर 3172 गै.मु. कातरा (बिलानाम) मे से से होते हुए खसरा नंबर 3170 गै.मु. नाला से होकर खसरा नम्बर 3188 (प्रार्थी की खातेदारी) की सीमा तक रास्ते की मांग की गई हैं।

प्रार्थी का संलग्न नक्शे अनुसार 68 मीटर लम्बाई एवं 04 मीटर चौडाई में प्रस्ताव अनुसार रास्ता दिया जा सकता है। प्रस्तावित रास्ता 60 मीटर लम्बाई एवं 04 मीटर चौडाई का है जिसका कुल क्षेत्रफल 272 वर्गमीटर अर्थात 0.0272 हेक्टेयर है। ग्राम– पाडीव की डीएल. सी दर 748000/--प्रति हैक्टयर की दर से प्रस्तावित रास्ते की भूमि की कीमत रूपये 20346/– होती है।

खसरा नम्बर 3170 की किस्म – गै.मु.नाला है, उसमें से प्राकृतिक बहाव को प्रभावित किये बिना, जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर प्रार्थी अपने स्तर पर आवागमन की विभागीय स्तर पर कार्यवाही करे।

विचाराधीन प्रकरण की पत्रावली वास्ते वकील प्रार्थी और पैरोकार सरकार की प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर अंतिम बहस दिनांक 23–04–2024 को रखी गई। जिस पर वकील प्रार्थी व अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार ने न्यायालय मे हाजिर होकर उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए आर.टी.एक्ट पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी स्टेट ने रास्ते के लिए 4 मीटर अर्थात् 13 फीट चौडाई में रास्ता प्रस्तावित किया हैं जबकि प्रार्थी द्वारा 30 फीट चौडे रास्ते का अनुतोष चाहा गया है जो कि धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुज्ञेय है । हमें आगे गै.मु. नाला में से जल संसाधन विभाग से अनापत्ति पश्चात प्राकृतिक जल बहाव को प्रभावित किये बिना पुल जैसी संरचना भी बनानी होगी जो 13 फीट चौडाई के रास्ते में बहुत संकडी होगी। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम दुरी का है एवं रास्ते की आत्यांतिक आवश्यक्ता सिद्व हुई है। अतः निवेदन है कि हमें प्रस्तावित 4 मीटर के स्थान पर 30 फीट चौडाई अर्थात् लगभग 9 मीटर चौडाई में रास्ता दिया जाए ताकि हमारा सुगम आवागमन हो सके।

वहीं अप्रार्थी स्टेट ने अपने जवाब मय रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को अपनी में दोहराया।

हमने विचारण प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर वकील प्रार्थी तथा पेरोकार सरकार की अंतिम बहस पर गंम्भीरता से मनन किया। विचारण प्रकरण की मुल पत्रावली मय प्रार्थना पत्र व जवाब स्टेट व सलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व सलग्न नक्शा ट्रेस किश्तवार का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया। संपूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया गया कि अप्रार्थी स्टेट की ओर से प्राप्त जवाब अनुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार किया है तथा पैरोकार सरकार ने भी अपनी बहस मे स्टेट के जवाब अनुसार प्रार्थी को उसकी खातेदारी कृषि भूमि मे से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले मे खातेदारी भूमि मे पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है। अतः प्रार्थी को उसके खातेदारी आराजी मे से होकर आने जाने के लिए मवेशी टेक्ट्रर बैलगाडी आदि के लिये रास्ते की सुविधाजनक उपयोग के लिए आत्यांतिक आवश्यकता होने से एवं वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता सिद्व नही होने से तथा स्टेट ने अपने जवाब मे भी रास्ता मौके एंव रेकर्ड मे

नही होना बताया है। वहीं खसरा संख्या 3170 पर प्राकृतिक बहाव को बाधित किए बगैर सक्षम विभागीय अनापत्ति प्राप्त कर आवागमन किया जा सकता है।

उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्ध अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी स्टेट के प्रस्ताव अनुसार प्रार्थी को उनकी खातेदारी कृषि भूमि मौजा पाडीव के खसरा संख्या 3188 रकबा 3.0000 हैक्टेयर पर कृषि कार्य हेतु स्वंय व कृषि यंत्र मवेशी बैलगाडी के आवागमन के लिए राजस्व ग्राम मौजा पाडीव के खातेदार श्री सरकार की राजकीय बिलानाम भूमि खसरा नम्बर 3172 गै.मु. कातरा (बिलानाम) मे से से होते हुए खसरा नंबर 3170 गै.मु. नाला से संलग्न नक्शे अनुसार प्रस्तावित रास्ता 60 मीटर लम्बाई एवं 04 मीटर चौडाई का है जिसका कुल क्षेत्रफल 272 वर्गमीटर अर्थात 0.0272 हेक्टेयर लम्बा मार्ग दिया जाना उचित होने से नियमानुसार रास्ता के लिये स्वीकृत की जाती है। इस सम्बन्ध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत धारा 251(क) के तहत राजस्थान सरकार के श्री मान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप 6) विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.(52) राज.–6/4 दिनांक 14.06.2013 बाबत राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के सम्बन्ध मे दिये गये प्रावधानो अनुसार उक्त रास्ते की भूमि स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रिती से अवधारित करने हेतु तहसीलदार सिरोही को आदेश दिये जाते है :– (क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरो या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगुना और (ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन अवधारित भूमि के तुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष या संरचना को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी ।

तहसीलदार सिरोही द्वारा उक्त रास्ता की भूमि की नियमानुसार कीमत अवधारित कर कीमत की राशि प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय सिरोही मे जमा करवाने पर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को उपरोक्तानुसार राजकीय बिलानाम भूमि मौजा पाडीव के मौजा पाडीव खसरा नम्बर 3172 व खसरा संख्या 3170 मे से (खसरा नम्बर 3170 की किस्म – गै.मु.नाला है उसमें से प्राकृतिक बहाव को प्रभावित किये बिना, जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर प्रार्थी अपने स्तर पर आवागमन की विभागीय स्तर पर कार्यवाही कर) 60 मीटर लम्बाई एवं 09 मीटर चौडाई लम्बा मार्ग दिया जाना उचित है। प्रार्थी उक्त रास्ते की भूमि की कीमत राशि अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को उपरोक्तानुसार भूगतान करने पर भूमिधारी तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव अनुसार रास्ते की भूमि खातेदारी में से कम कर राजस्व रेकर्ड में किस्म गैर मूमकीन सार्वजनिक रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते मे दर्ज करने की कार्यवाही कर पालना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 23–04–2025 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

(हरि सिंह देवल)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)